भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5
सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

†**5. श्री कृपानाथ मल्लाहः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक असम में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) असम में अब तक इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों तथा इस पर प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य में लक्षित लाभार्थियों के व्यापक वर्ग को कवर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहतः-

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।
- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो साल के लिए सब्सिडी का भुगतान कर रही है।

(ख) एवं (ग): इस योजना के तहत निधि का कोई विशेष राज्य-वार आवंटन नहीं है। 12.07.2021 को असम में 289 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 4735 लाभार्थियों को 2.25 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

(घ): इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। 12.07.2021 को, इस योजना के तहत 84390 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 22.57 लाख कर्मचारियों को 993.26 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

(ड.): नियोक्ता और नियोक्ता संघों और कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों दोनों के साथ सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। इसके अलावा, ईपीएफओ सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी इस योजना का प्रचार कर रहा है। एबीआरवाई योजना से संबंधित रचनात्मक संदेश और वीडियो मंत्रालय और ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए जाते हैं। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण जो कि शुरू में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****